मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ), लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–14

ईमेल– **ce.pmg-bih@gov.in** दूरभाष– 0612–2215035

संचिका सं0:–मु0अ0 / ल0ज0सं0(पी0एम0जी0) कालीकृत–647– 07 /पटना, दिनांकः– 16/01/2026

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई के पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01 / 2025–26 के ग्रुप सं0–01 अंतर्गत परसिया आहर एवं ग्रुप सं0–11 अंतर्गत केलुआ आहर में वित्तीय बीड निष्पादन के पश्चात उक्त योजनाओं का कार्य श्री अखिलेश कुमार, ग्राम– बाराटांड, पो0+थाना–गोविन्दपुर, जिला–नवादा, पिन कोड–805102 (निबंधन सं0–MWRD0525C3UE5972 श्रेणी–III) को आवंटित किया गया था, जिसका एकरारनामा करने हेतु अग्रधन एवं जमानत तथा ए0पी0जी0 की राशि जमा करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर के द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करने के कारण संवेदक श्री अखिलेश कुमार के पक्ष में निर्गत उक्त योजनाओं के कार्य आवंटन आदेशों को अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मुंगेर द्वारा रद्द कर दिया गया एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, जमुई के पत्रांक–3433 दिनांक–04.09.2025, पत्रांक–3434 दिनांक–04.09.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर के पत्रांक–2110 दिनांक–04.09.2025, पत्रांक–2102 दिनांक–04.09.2025 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग भागलपुर के पत्रांक–3441 दिनांक–18.09.2025 एवं पत्रांक–3442 दिनांक–18.09.2025 द्वारा संवेदक श्री अखिलेश कुमार को कालीकृत करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–1050 दिनांक–14.10.2025 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (ख) के तहत संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जबाव अप्राप्त रहने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक–1162 दिनांक–14.11.2025 एवं पत्रांक–1317 दिनांक–15.12.2025 द्वारा संवेदक को कारण पृच्छा का जबाव उपलब्ध कराने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया, परन्तु संवेदक का जबाव अबतक अप्राप्त है। संवेदक को स्मारित करने के बावजूद उनके द्वारा जबाव उपलब्ध नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि मांगे गये स्पष्टीकरण के संदर्भ में उनके पास अपने बचाव के लिये कोई तथ्य / कारण उपलब्ध नहीं है।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में संवेदक को आवंटित उक्त योजनाओं के कार्यो का एकरारनामा किये जाने हेतु वांछित अग्रधन एवं जमानत तथा ए0पी0जी0 की राशि जमा नहीं किये जाने एवं इस प्रकार एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अविध तक एकरारनामा नहीं किये जाने के कारण सम्यक समीक्षोपरान्त संवदेक श्री अखिलेश कुमार, ग्राम– बाराटांड, पो0+थाना–गोविन्दपुर, जिला–नवादा, पिन कोड–805102 (निबंधन सं0–MWRD0525C3UE5972 श्रेणी–III) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (viii) एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं0–154 दिनांक–18.06.2015 की कंडिका 08 के उप कंडिका 04 के तहत अगले 10 वर्षो के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह0 / –
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक–   /पटना दिनांक–

प्रतिलिपि– संवदेक श्री अखिलेश कुमार, ग्राम– बाराटांड, पो0+थाना–गोविन्दपुर, जिला–नवादा, पिन कोड–805102 (निबंधन सं0–MWRD0525C3UE5972 श्रेणी–III), ईमेल–kumarkumarsatish56@gmail.com / akhileshyadav141196@gmail.com / मो0–6201852154/7250377523 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– 99   /पटना, दिनांक– 16/01/2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, .../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, .../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, ...एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

15/01/026

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

15/01/26